

डा० के०के० पाल

राज्यपाल एवं

कुलाधिपति, उत्तराखण्ड आयुर्वेद
विश्वविद्यालय, देहरादून।



राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या- 340 / जी०एस० / C12-1(II) / शिक्षा / 2017

देहरादून : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2017

आदेश

एतद्वारा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति के पद के कार्य दायित्वों हेतु अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पूर्व आदेश संख्या-1419/XXXX/2017-149/2010 दिनांक 16 जून, 2017 को अतिक्रमित करते हुये उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 की धारा-11 की उपधारा-(1) एवं धारा-11(6) के प्राविधानों के अधीन राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में प्रो० अभिमन्यु कुमार, पूर्व निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून का कुलपति नियुक्त किया जाता है।


हो/-

डा० के० के० पाल
कुलाधिपति।

संख्या 340 / (1) / जी०एस० / C12-1(II) / शिक्षा / 2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
7. प्रो० अभिमन्यु कुमार, पूर्व निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली, गौतमपुरी, सरिता विहार, नई दिल्ली-110076.
8. कुलपति / कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
9. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रविनाथ रामन)
सचिव श्री राज्यपाल।